न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2 लखीमपुर खीरी।
जमानत प्रा०पत्र सं० 1217–2026
रजि०सं०–2622–2026
CNR No. UPLP01–005595–2026

जोगेन्द्र सिंह उर्फ मुस्कान यादव पुत्र नरसिंह यादव निवासी ग्राम बघमरा, थाना हैदराबाद, जिला खीरी।

----------------- अभियुक्त।

बनाम

राज्य ------------------------------------ विपक्षी।

मु०अ०सं० 179/2026
धारा–305(e), 331(4), 317(2) BNS
थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी।

<u>20–07–2026</u>

संदर्भित जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह उर्फ मुस्कान यादव की ओर से मु०अ०सं० 179/2026 धारा–305(e), 331(4), 317(2) BNS, थाना हैदराबाद जिला लखीमपुर खीरी के मामले में स्वयं को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा जमानत आवेदन के साथ शपथपत्र संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में यह कथन अंकित किया गया है कि अभियुक्त का जमानत प्रा०पत्र प्रथम है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सत्र न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियुक्त ने जमानत प्रा०पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी के द्वारा खाद की काला बाजारी को लेकर समिति पर विरोध के चलते वादी मुकदमा द्वारा रंजिशन व साजिशन झूंठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट का नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी बी०एस०सी० का छात्र है जो कि वर्तमान में रामभजन सिंह महाविद्यालय ढखिया लखीमपुर खीरी में परीक्षा दे रहा है। दिनांक 15–06–2026 को प्रार्थी का रसायन विज्ञान का पेपर था जो कि उसने दिया है। ऐसी स्थिति में परीक्षा के दिन ही चोरी किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी के पास से कुछ भी बरामद नही हुआ है, कथित बरामदगी जाली, साजिशी एवं फर्जी है और न ही बरामदगी का कोई साक्षी है। प्रार्थी के पिता नरसिंह यादव साधन सहकारी समिति के खातेदार है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत चल रही है जिस कारण समय से किसानों को खाद नही मिल पाती है, साधन समितित के सचिव आद लोग मिलकर अपने चहेते लोगों को खाद दे देते है तथा खाद की काला बाजारी भी कर लेते हैं इसी बात का प्रार्थी करीब दो माह से समिति के गलत कृत्यों का विरोध करता था इसी रंजिश के कारण वादी मुकदमा ने प्रार्थी को बदले की भावना से झूंठा फंसाया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः प्रार्थी को उचित जमानत पर रिहा किया जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जाये।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रा०पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रा०पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16–06–2026 को सुबह 09:00AM पर मोबाइल से सूचना मिली कि वादी मदनलाल के सहकारी समिति के कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर उसके द्वारा तत्काल चौकी इंचार्ज अजान थाना हैदराबाद लखीमपुर खीरी को सूचना दी गयी है तथा वह 09:45AM पर समिति पर उपस्थित हुआ को देखा कि सहकारी विभाग द्वारा दिया गया इलेक्ट्रानिक उपकरण, पीओएस मशीन, डेस्कटाप, एल०सी०डी०, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनवर्टर, बैटरी अदत एवं इलेक्ट्रानिक पंखा आदि अराजक तत्वों द्वारा चोरी कर लिया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया गया।

सुना तथा संलग्न पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा जघन्य प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित नहीं है। अभियुक्त नामजद आरोपी नही है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया गया है। अभियुक्त दिनांक 04–07–2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह उर्फ मुस्कान यादव द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) के निजी बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय में दाखिल करने पर निम्न शर्तो का अनुपालन करने की अण्डरटेंकिग देने पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र को भी पृथक से दाखिल किया जायेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 2
लखीमपुर खीरी
JO CODE No. UP6367

Digitally signed by MANOJ KUMAR SINGH
Date: 2026.07.20 16:28:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court